झारखण्ड सरकार

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

दुरभाष सं०:–06432-275033 (जिला आपूर्ति शाखा) ई–मेलः–dso.dgr@gmail.com

अल्पकालीन निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2019–2020 में अन्त्योदय एवं पूर्विक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार के सदस्यों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्न का एफ०पी०एस० डोर स्टेप डिलेवरी पद्धति के तहत् झारखंड राज्य खाद्य निगम के प्रखंड स्तरीय गोदाम से जन वितरण प्रणाली की दुकान तक परिवहन एवं हथालन कर आपूर्ति करने हेतु परिवहन अभिकर्ता से एतद् द्वारा प्रखंडवार निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता द्वारा निविदा दिनांक : 25.03.2019 को 2:00 बजे अपराह्न तक मुहरबन्द लिफाफे में समाहरणालय, देवघर स्थित जिला आपूर्ति कार्यालय, देवघर में जमा की जा सकती है। उसी दिन संध्या 4:00 बजे निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

निविदा खोलते समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है। निविदादाता को तकनिकी निविदा एवं वित्तीय निविदा दो अलग–अलग लिफाफे में अलग–अलग अंकित कर दोनों को एक बड़ा लिफाफा में भर कर जमा करना होगा। तकनिकी निविदा में सभी शर्तो को पूरा करने पर ही वित्तीय निविदा के लिफाफे को खोला जायेगा।

उक्त योजनाओं के तहत् परिवहन किये जाने वाले खाद्यान्न (चावल / गेहूँ) की संभावित मात्रा प्रखण्डवार निम्नवत् है –

क्र०	शहर / प्रखण्ड का नाम	ज०वि०प्र० वि० संख्या	AAY खाद्यान्न की मात्रा (मीट्रिक टन में)		PHH खाद्यान्न की मात्रा (मीट्रिक टन में)	
			चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ
1	2	3	4	5	6	7
1	देवघर प्रखंड	95	39.018	26.012	323.361	215.574
2	मोहनपुर प्रखंड	139	79.5	0	719.59	0
3	देवीपुर प्रखंड	74	34.545	0	451.4	0
4	सारवाँ प्रखंड	54	36.225	0	365.15	0
5	सोनारायठाढी प्रखंड	57	28.98	0	328.93	0
6	देवघर नगर निगम	148	16.926	11.284	222.621	148.414
7	मधुपुर प्रखंड	101	24.528	16.352	339.27	226.18
8	करौं प्रखंड	67	38.43	0	347.5	0
9	मारगोमुण्डा प्रखंड	63	25.515	0	399.575	0
10	पालोजोरी प्रखंड	127	79.1	0	632.995	0
11	सारठ प्रखंड	125	76.02	0	678.975	0
12	मधुपुर नगर पर्षद	46	5.355	3.57	93.669	62.446
	कुल :–	**1096**	**484.142**	**57.218**	**4903.036**	**652.614**

उक्त के अलावा यदि कोई अन्य मदों पर खाद्यान्न अथवा अन्य सामग्री का आवंटन सरकार द्वारा प्राप्त हो तो इसका भी परिवहन एवं हथालन करना होगा। उक्त मात्रा में कमी या वृद्धि हो सकता है। निविदा से संबंधित पूरी जानकारी जिला आपूर्ति कार्यालय, देवघर के कार्यालय तथा देवघर जिला के अधिकृत वेबसाईट www.deoghar.nic.in के Tender सेक्शन पर देखा जा सकता है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
7/3/19 देवघर

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
देवघर।

झारखण्ड सरकार

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

दुरभाष सं0:–06432-275033 **(जिला आपूर्ति शाखा)** ई–मेल:–dso.dgr@gmail.com

<u>डोर स्टेप डिलेवरी के तहत परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता की नियुक्ति हेतु</u>

<u>अल्पकालीन निविदा सूचना</u>

देवघर जिला अंतर्गत बाजार समिति प्रांगण, देवघर, देवीपुर, मोहनपुर, सारवाँ, मधुपुर, पालाजोरी, करौं, सारठ तथा मारगोमुण्डा प्रखंड स्थित राज्य खाद्य निगम गोदामों से देवघर शहरी क्षेत्र, मधुपुर शहरी क्षेत्र के अतिरिक्त 10 प्रखंडों यथा देवघर, मोहनपुर, देवीपुर, सारवां, सोनारायठाढ़ी, करौं, मारगोमुण्डा, सारठ, पालाजोरी तथा मधुपुर के जन वितरण दुकानों तक डोर स्टेप डिलेवरी के तहत खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत विभिन्न योजनाओं खाद्यान्न, आयोडीन नमक तथा चीनी पहुँचाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में परिवहन सह हथालन अभिकर्त्ता की नियुक्ति हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। सभी गोदामों से जन वितरण प्रणाली दुकान तक हथालन एवं परिवहन हेतु न्यूनतम दर 30.00 (तीस) रूपये एवं अधिकतम दर 40.00 (चालीस)रूपये प्रति क्वींटल निर्धारित किया जाता है।

निविदा दिनांक 25.03.2019 को 2:00 बजे अप० तक जिला आपूर्त्ति कार्यालय, देवघर में जमा कर सकते हैं। उसी दिन संध्या 4:00 बजे निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। निविदा के साथ 1,00000.00 (एक लाख) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा जो जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, देवघर के पदनाम से देवघर में भुगतेय होना चाहिए।

निविदा की शर्त्तें एवं अन्य जानकारी जिला आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला के वेबसाईट www.deoghar.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

<u>तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्नांकित कागजात/प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा –</u>

1. निविदादाता को आवासीय प्रमाण–पत्र निविदा के साथ समर्पित करना होगा।
2. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र निविदा के साथ समर्पित करना होगा।
3. निविदादाता को कम–से–कम पाँच (स्वामित्व/लिज) वाहन यथा ट्रक/पिकअप भैन/मिनी ट्रक (407)/मिनी ट्रक (709)/ट्रैक्टर का स्वामित्व होना चाहिए, जिससे संबंधित कागजात की छाया प्रति (स्व–अभिप्रमाणित) निविदा के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा।
4. उक्त निविदा के लिए आवेदन, व्यक्ति विशेष Proprietorship Firm एवं Partnership Firm डाल सकते हैं। Proprietorship Firm एवं Partnership Firm के तहत प्राप्त आवेदन की स्थिति में Proprietorship Deed/Partnership Deed का शपथ पत्र निविदा के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा। वैसी स्थिति में परिवहन अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति Firm के नाम से निर्गत किया जायेगा।
5. निविदादाता को कम–से–कम 200000.00 (दो लाख) रूपये का चल/अचल सम्पत्ति से संबंधित ब्यौरा प्रमाण–पत्र सहित तकनीकी निविदा के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. वाहन कॉमर्शियल कार्य हेतु निबंधित होने एवं रोड टैक्स अद्यतन जमा होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
7. अभिकर्त्ता की निविदा स्वीकृति के समय उनके पूर्व के कार्यानुभव/कार्यशैली पर Tender समिति द्वारा चयन करने में ध्यान रखा जायेगा।

वित्तीय निविदा की शर्ते :–

* वित्तीय निविदा वाले लिफाफा में निविदादाता उपरोक्त प्रखंड के अन्तर्गत खाद्यान्न के परिवहन हेतु हथालन सहित मानक दर प्रति क्विं0 अंकित करेंगे।

अन्य शर्ते :–

* संबंधित वाहन पूर्ण रूपेण खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्य करेंगे एवं निर्धारित रंग में वाहनों पर पेन्ट कराया जायेगा तथा बैनर लगाना अनिवार्य होगा।
* चयनित निविदादाता को नियुक्ति पत्र निर्गत होने के एक सप्ताह के अंदर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर के साथ एकरारनामा करना होगा अन्यथा नियुक्ति पत्र रद्द समझा जायेगा एवं अग्रधन राशि जब्त कर ली जायेगी। चयनित निविदादाता को एकरारनामा के समय 50,000.00 (पचास हजार) रूपये मात्र का NSC या KVP या FD जिला आपूर्ति कार्यालय, देवघर में Security Money के रूप में जमा करना होगा, जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर के नाम से Pledged होगा।
* इच्छुक निविदादाता, निविदा हेतु आवेदन पत्र, जिला आपूर्ति कार्यालय, देवघर से 1000.00(एक हजार) रू० का बैंक ड्राफ्ट जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।(ड्राफ्ट जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर के नाम से देय होगा)
* चयनित निविदादाता को संबंधित प्रखंड के लिए आवंटित खाद्यान्न को आवश्यक रूप से प्रत्येक माह के 10वीं तिथि तक सभी संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकान तक पहुंचाना होगा।
* राज्य खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न का परिवहन सरकारी सेवक के अभिरक्षण में संबंधित जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर पहुंचाना आवश्यक होगा तथा संबंधित दुकानदार से प्राप्त पावती रसीद पर आपूर्ति निरीक्षक/पंचायत स्तरीय निगरानी समिति/सहायक गोदाम प्रबंधक राज्य खाद्य निगम के सदस्यों द्वारा खाद्यान्न सत्यापन के पश्चात् ही ढुलाई किए गए खाद्यान्न के विपत्र का भुगतान संभव होगा।
* खाद्यान्न के परिवहन के क्रम में किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर चयनित निविदादाता पर आवश्यक वस्तु अधिनियम–7 ई0सी0 एवं भा0द0सं0 के सुसंगत धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा Security Money जब्त कर ली जाएगी।
* जिला खाद्यान्न परिवहन एवं हथालन निविदा समिति को प्रखंडवार एक या एक से अधिक परिवहन अभिकर्ता नियुक्ति करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
* सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। एक निविदादाता का एक ही प्रखंड के लिए निविदा स्वीकार किया जायेगा।
* किसी भी परिस्थिति में परिवहन सह हथालन कार्य के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप ही भुगतान किया जायेगा।
* **चयनित निविदादाता को एक वित्तीय वर्ष (2019–20) के लिए ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर को नियुक्ति पत्र विस्तारित/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।**

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
7/3/19 देवघर

7/3/19
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
देवघर।

ज्ञापांक 233 /आ0, देवघर दिनांक 7 वीं०, मार्च, 2019 ई०।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर/मधुपुर/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, दुमका/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, देवघर/जिला परिवहन पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
देवघर
7/3/19

7/3/19
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
देवघर।